न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 127/2023 **GCMS 2023/235**

वादी

1. चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी डेर की ढ़ाणी मकराना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. प्रभाती देवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. तहसीलदार भू—धारक कुचामनसिटी।

दावा :— दावा बाबत अधिकारो की घोषणा बंटवारा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act 1955

उपस्थित :— श्री धर्माराम चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 04/08/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी की खरीद सुदा रजिस्ट्री सुदा भूमि मौजा ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नं. 331 ,332 पुराने एवं नये खसरा नं. 3353/332 में आई हुई है। वादग्रस्त खसरा नम्बर पुराने 331 ,332 में से वादी ने दिनांक 23.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 प्रभाती देवी से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान नामा के रकबा 0.076087 हैक्टेयर अर्थात 760.87 वर्गमीटर भूमि खरीद की बैचाननामा उप पंजीयक कार्यालय कुचामन सिटी में पंजीबद्व करवाया गया था जो उप पंजीयक कार्यालय कुचमान सिटी में दिनॉक 24.01.2014 को पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 241 पृष्ठ सख्या 125 क्रम सख्या 2014000346 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 795 पृष्ठ सख्या 109 से 114 पर चस्पा किया गया ।

वादी चेनाराम द्वारा खरीद भूमि के पाडौस निम्नवत है :—

पूर्व में : मेगा हाईवे सड़क ।
पश्चिम में : बुल्डको की भूमि ।
उतर में : विक्रेता की शेष भूमि ।
दक्षिण में : विक्रेता की शेष भूमि

वादग्रस्त खसरा नम्बर 331, 332 का बाद बंटवारा होने पर प्रभातीदेवी के नाम रही भूमि की अलग खातेदार दर्ज होकर नये खसरा नं. 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टेयर भूमि का दर्ज हो गया । जिसमें वादी की भूमि भी प्रतिवादी प्रभाती देवी के नाम ही दर्ज रही, जबकि वादी का खरीद दिनांक से खरीदशुदा भूमि पर कब्जा रहा है तथा वर्तमान में खसरा नं. 3353/332 में कब्जा है कि खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर रखा है तथा भौतिक बंटवारा अनुसार अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

कब्जे काश्त में है। वादी ने अपनी हक–हिस्से की भूमि के चारो ओर पक्की चार दिवारी कर लोहे का गेट चढा रखा है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 नें वादग्रस्त खसरा नम्बर 3353/332 की भूमि का मौके पर भौतिक रूप से नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवारा कर रखा है जिसका नजरी नक्शा निम्नवत है ।

नजरी नक्शा

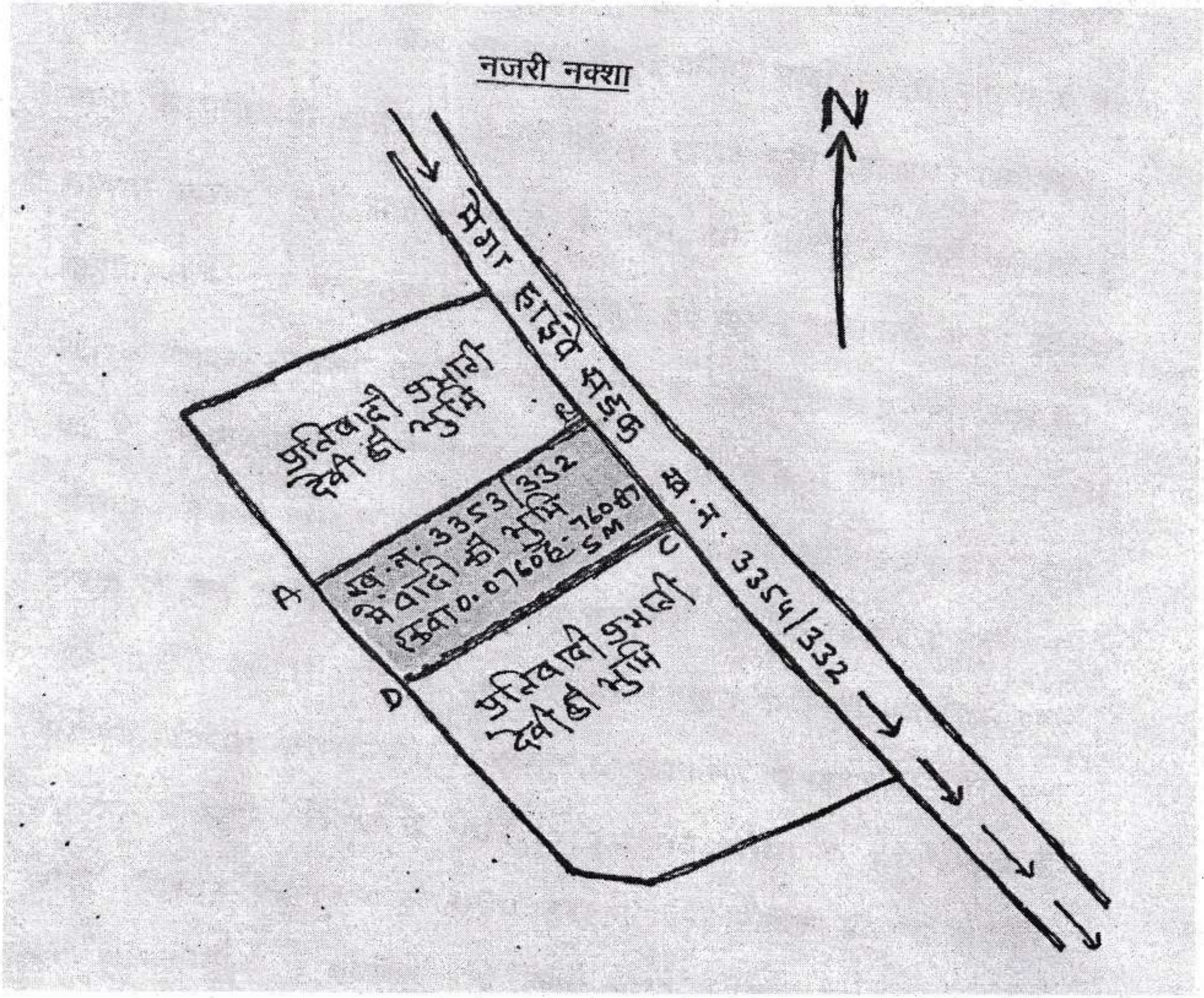

उपरोक्त दर्शीत नजरी नक्शे अनुसार वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 नें मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारा अनुसार ही कब्जे काश्त में है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त खसरा की कृषि भूमि आज दिन भी प्रतिवादी संख्या 1 प्रभातीदेवी के नाम दर्ज है । वादी की मौके पर अपने हिस्से की भूमि अलग बंट में है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अपने खातेदारी में दर्ज नहीं हो रखी। जिसके कारण वादी अपने हक हिस्से की रजिस्ट्री सुदा खरीदसुदा भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। इसलिये वादी जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा के प्रतिवादी संख्या 1 प्रभातीदेवी से खरीदशुदा भूमि पर अपने अधिकारो की घोषणा करवाते हुऐ राजस्व रेकर्ड में अपना नाम खातेदार दर्ज करवाते हुए बाई मिट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

बाउण्डस बंटवारा करवाते हुऐ अलग खातेदारी अलग होल्डिंग घोषित करवाने के लिऐ यह वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 3353/332 की भूमि में वादी ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के लिऐ पटवारी हल्का, तहसीलदार साहब व प्रतिवादी संख्या को कई बार निवेदन किया। परन्तु खातेदारी वादी के नाम दर्ज नहीं करने तथा सहमति बंटवारा करने से मना करने पर मजबुरन वादी को बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा करवाने के लिए न्यायालय मे वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ। वादी खसरा नं. पुराने 331, 332 नये खसरा नं. 3353/332 में जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद सुदा भूमि पर भौतिक बंटवारा अनुसार कब्जे काश्त में है । इसलिए वादी कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करवाकर स्वतन्त्र खातेदारी के लिए घोषणा करवाकर अलग खातेदारी दर्ज करवाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष बंटवारा, अधिकारो की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है । वाद वादी प्रथम दृष्टया मामला है वादी खरीद सुदा भूमि पर एंव अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 3353/332 में कब्जे काश्त में होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है । बंटवारा से पूर्व यदि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त खसरा नम्बर 3353/332 में वादी के कब्जे काश्त वाली भूमि में कब्जे की नियत से किसी प्रकार की दखल अन्दाजी बाधा डालते है तो वादी को अपार क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयो से नही किया जा सकता । इसलिए वादग्रस्त खसरान का विधिवत कानूनन बंटवारा किया जाना न्यायहित में बहुत ही जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 2 भू–धारक तहसीलदार कुचामन सिटी को फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं, वाद बंटवारा का होने से पक्षकार बनाया गया है भूं–धारक तहसीलदार कुचामन सिटी के विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए धारा 80 सी पी सी के नोटिस की आवश्यक्ता नही रही है। वादी की इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की सादर फरमाई जावे की मौजा ग्राम कुचामनसिटी पटवार हल्का कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 कृषि भूमि का वाद पत्र में दर्शित नजरी नक्शा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवारा फरमाया जाकर वादी चेनाराम पुत्र नारायणराम जाट को रकबा 0.0760 हैक्टेयर अर्थात 760.87 वर्गमीटर भूमि का स्वतन्त्र काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमांबदी सम्वत 2074–2077 ग्राम कुचामनसिटी के खाता सं. 484 खसरा नम्बर 3353/332 की नकल नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की गई है। मौखिक साक्ष्य में वादी चेनाराम का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी ... तथ्यों को दोहराते हुए अपने अपने हक हिस्से 0.076087 हैक्टर ... तथा राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी की खातेदारी की आई हुई है तथा वादी के द्वारा भूमि क्रय की गई है जिसका नामान्तरकरण वरवक्त नही हो सका, जबकि वादी मौके पर नजरी नक्शे में अंकित स्थान पर 0.076087 हैक्टर पर काबिज है, वादी ने नजरी नक्शा में भी अपना हक हिस्सा दर्शाया है जिस पर वह काबिज चला आ रहा है, वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजो तथा वाद पत्र में अंकित अभिवचनो से होती है। नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम कुचामनसिटी के खाता संख्या 481 खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर बारानी द्वितीय में से प्रतिवादी द्वारा जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 2014/000346 दिनॉक 24.01.2014 द्वारा वादी को उपरोक्त पाड़ौस के मध्य 8190 वर्ग फीट अर्थात 0.076087 हैक्टर किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों में भी कथन किया है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर मौकें पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा मौखिक बंटवारा उन्होने अपनी सुविधा अनुसार कर रखा है परन्तु राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में पृथक–पृथक हक हिस्सा दर्ज नही है, जिससे उन्हे भूमि रूपान्तरण एवं अन्य कृषि कार्य हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर भी नही मिल रहे है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद वादी साबित होने से प्राथमिक डिक्री काबिल योग्य पाया गया, अतः निम्न प्रकार वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

आदेश

वाद प्राथमिक डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम कुचामनसिटी के खाता संख्या 481 खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर बारानी द्वितीय में वादी चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ढेर की ढ़ाणी मकराना तहसील मकराना जिला नागौर को 0.076087 हैक्टर का नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्त भूमि प्रतिवादी प्रभाती देवी के हिस्से में से कम की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान (खातेदारान) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 04/08/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 127/2023 **GCMS 2023/235**

वादी

1. चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी डेर की ढ़ाणी मकराना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. प्रभाती देवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. तहसीलदार भू–धारक कुचामनसिटी।

दावा :– दावा बाबत अधिकारो की घोषणा बंटवारा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री धर्माराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद प्राथमिक डिक्री कर घोषणा कि जाती है ग्राम कुचामनसिटी के खाता संख्या 481 खसरा नम्बर 3353/332 रकबा 0.2444 हैक्टर बारानी द्वितीय में वादी चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ढेर की ढ़ाणी मकराना तहसील मकराना जिला नागौर को 0.076087 हैक्टर का नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उपरोक्त भूमि प्रतिवादी प्रभाती देवी के हिस्से में से कम की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि रूबरू पक्षकारान (खातेदारान) मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04 ....माह 08 .... सन् 2023 .... को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी
ओहदा........ कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहन			फि[illegible]		
फिस कमिश्नर			[illegible]		
बबत इजराय हुक्मनामा			मु[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी [illegible] जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / कोर्ट / 2023 / 138 दिनॉकः– 04/08/2023

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 127 / 2023 **GCMS 2023/235** चेनाराम बनाम प्रभाती देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 127 / 2023 **GCMS 2023/235** चेनाराम बनाम प्रभाती देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कोर्ट
17/8/2023

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2023 / 1336 दिनांक – 17-08-2023

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 127 / 2023 GCMS 2023/235 चेनाराम बनाम प्रभाती देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के कार्यालय पत्रांक कोर्ट / 2023 / 138 दिनांक 04.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 127 / 2023 GCMS 2023/235 चेनाराम बनाम प्रभाती देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष, भू.अ.नि.कुचामनसिटी व पटवारी हल्का कुचामनसिटी द्वारा तैयार की गयी है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

(1)

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं विजय कुमार भाकर (नाम) तहसीलदार कु.चामनसिटी न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु.सिटी के आदेश कमांक/कोर्ट/2023/1318 दिनांक 4/8/23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 17.8.23 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर–3353/332 वाके ग्राम कु.सिटी पटवार हल्का कुचामनसिटी पर श्री कुचामन ... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कु.सिटी .... में विचाराधीन प्रकरण संख्या–127/2023 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	धर्माराम	श्री प्रेमाराम		जाट	नि. मकराना, वादी के वकील

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :–

पृष्ठ नं. .... नक्शा अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) कु.चामन सिटी

17.8.23

कु.कु.सिटी

मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ौसियों ने निम्न नजरी नक्शानुसार वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा होना बताया :-

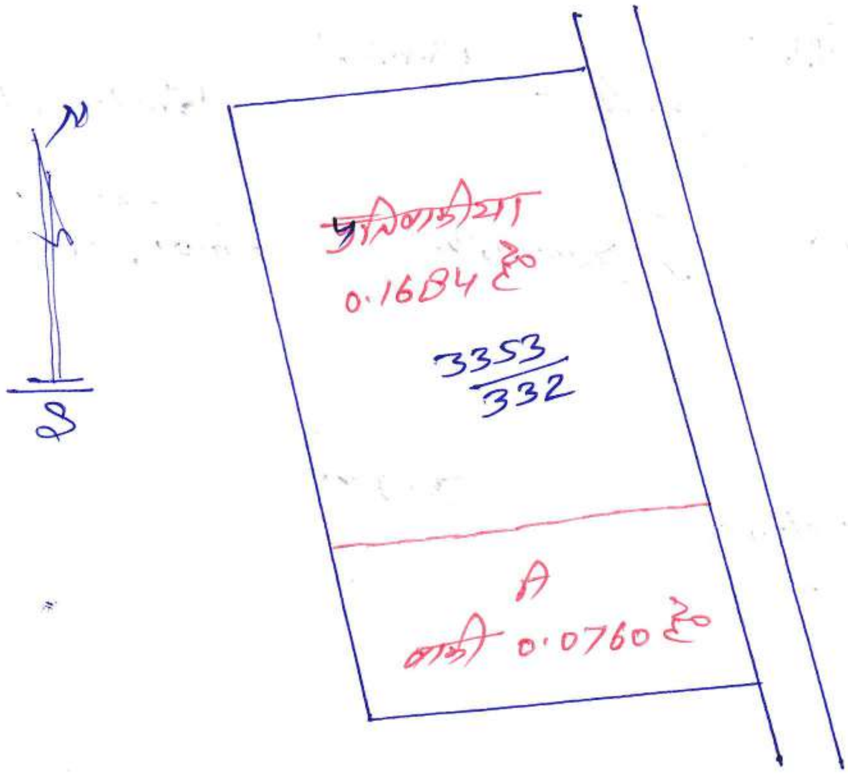

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार बिन्दु सं. A रकबा 0.0760 है० पर वादी खेमाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट नि. डेर की ढाणी, मकराना का कब्जा (चार दिवारी बनाकर) होना बताया गया। शेष रकबा 0.1684 है० खातेदार प्रभातीदेवी पत्नि मोतीराम जाति - कुमावत सा. कुचामनसिटी के कब्जे/हिस्से में होना बताया गया। उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय आदेशानुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर पढ़कर सुनाया गया व हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

(वादी के प्रतिनिधि पिता)

17/8/2023
तहसीलदार (मु.ख.) कुचामन सिटी

(खेमाराम)

17-8-23

पटवारी

(3)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	धर्माराम	s/o श्री पेमाराम	जाट	Omram	वादी के वकील

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

— Nil —

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..
1.	नारायणराम	पुत्र डूगाराम		जाति जाट	9460162520 ना।।प।।
2.	धर्माराम	पुत्र पेमाराम		जाति जाट	9414804267 Omram

इस प्रकार आज दिनांक 17.8.23 को ... तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं.	वृत. कु. सिटी	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 127/2023 **GCMS 2023/235**

वादी

1. चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी डेर की ढ़ाणी मकराना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. प्रभाती देवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. तहसीलदार भू–धारक कुचामनसिटी।

दावा :– दावा बाबत अधिकारो की घोषणा बंटवारा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री धर्माराम चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 23/08/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस वाद पत्र के संलग्न दिनांक 04.08.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2023/1326 दिंनाक 17.08.2023 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 17.08.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 3353/332 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू संख्या **A** रकबा 0.0760 हैक्टर पर वादी चेनाराम पुत्र नारायणराम जाटका कब्जा (चार दिवारी बनाकर) होना बताया गया। शेष रकबा 0.1684 हैक्टर खातेदार प्रभातीदेवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी के हक हिस्से में होना बताया गया। भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है, तथा नजरी नक्शा एवं दर्शाये गये हक हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने के कथन किये है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 3353 / 332 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू संख्या **A** रकबा 0.0760 हैक्टर पर वादी चेनाराम पुत्र नारायणराम जाट को, शेष रकबा 0.1684 हैक्टर प्रतिवादी सं. 01 प्रभातीदेवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 23/08/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 127/2023 **GCMS 2023/235**

वादी

1. चेनाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी डेर की ढ़ाणी मकराना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. प्रभाती देवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. तहसीलदार भू–धारक कुचामनसिटी।

दावा :– दावा बाबत अधिकारो की घोषणा बंटवारा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री धर्माराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 3353/332 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दू संख्या A रकबा 0.0760 हैक्टर पर वादी चेनाराम पुत्र नारायणराम जाट को, शेष रकबा 0.1684 हैक्टर प्रतिवादी सं. 01 प्रभातीदेवी पत्नि जीतमल जाति कुमावत सा. कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 08 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (ना...)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			ख[illegible]		
खर्चा गवाहन			फि[illegible]मिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इज[illegible]		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरि[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी [illegible]रिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/182 दिनॉकः– 6/9/2023

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 127/2023 **GCMS 2023/235** चेनाराम बनाम प्रभाती देवी वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 127/2023 **GCMS 2023/235** चेनाराम बनाम प्रभाती देवी वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested